

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 393/11

संस्थापन दिनांक :- 29/11/11

फाइलिंग नं. 233504000192011

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

नागेश पिता गोण्डया मेहरा, उम्र 45 वर्ष  
निवासी जीराढाना, थाना आमला,  
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: ( निर्णय ) :-**

**(आज दिनांक 16.11.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)ए के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 28.11.2011 को समय शाम 06:30 बजे ग्राम जीराढाना आकाश नगर स्थित अपने घर के सामने बिना वैध अनुज्ञप्ति के 40 लीटर कच्ची शराब विक्रय करने के आशय से अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रखा।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.11.2011 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम जीराढाना में अभियुक्त अवैध रूप से महुंआ शराब बिक्री करने की गरज से रखा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा और अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा तथा उसके कब्जे से दो प्लास्टिक की जेरी केन में 40 लीटर हाथ भट्टी महुंआ शराब गवाहों के समक्ष जप्त किया। अभियुक्त का कृत्य धारा 34-ए आबकारी अधिनियम के अधीन पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा थाने वापस आकर अपराध क. 341/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा

फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.11.2011 को समय शाम 06:30 बजे ग्राम जीराढाना आकाश नगर स्थित अपने घर के सामने बिना वैध अनुज्ञप्ति के 40 लीटर कच्ची शराब विक्रय करने के आशय से अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रखा ?”

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 28.11.2011 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ ग्राम जीराढाना के पास पहुंचा। अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा एवं उसके कब्जे से दो प्लास्टिक की जेरी केन से करीब 40 लीटर हाथ भट्टी महुंआ शराब जप्त कर (प्रदर्श पी-1) का जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 341/11 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) लेख की थी।

6 गोलू (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अखलेश के अदम पता होने से उसकी साक्ष्य न्यायालय में अंकित नहीं की जा सकी है। एक अन्य स्वतंत्र साक्षी गोलू ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आर.के. दुबे (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 आर.के. दुबे (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त नागेश शराब बेच रहा है। अभियुक्त को घेराबंदी करके पकड़ा गया। अभियुक्त के आधिपत्य से दो प्लास्टिक की जेरी केन से लगभग 40 लीटर हाथ महुंआ शराब जप्त की गयी

थी। जप्ती पत्रक तैयार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत थाना आकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जिस जेरी केन में शराब रखी हुई थी वह नापके थे उसी से पता चला था कि जप्तशुदा शराब 40 लीटर है। शराब की नपाई न तो उसके द्वारा और न ही पुलिस स्टाफ के द्वारा लीटर में मौके पर या थाने में की गयी थी। रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि मौके पर दोनों तरल पदार्थ की कुपियों को उसके द्वारा सील नहीं किया गया था। बचाव अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि आपको कैसे पता चला कि तरल पदार्थ शराब है तो साक्षी ने यह बताया कि सूंघकर उसकी गंध से यह मालूम हुआ कि यह कच्ची महंगा शराब है।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से दो प्लास्टिक की जेरी केन किस माप की थी जिससे कि निश्चायक रूप से यह कहा जा सके कि अभियुक्त से कुल 40 लीटर शराब की जप्ती हुई। साक्षी आर.के. दुबे ने अपने कथनों में बताया है कि जेरी केन नापके थे उसी से पता चला था कि शराब 40 लीटर है। उपर्युक्त साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि जेरी केन कितने लीटर के थे। साथ ही स्वयं विवेचक साक्षी ने यह बताया है कि मौके पर तरल पदार्थ की कुपियों को सीलबंद नहीं किया गया था। साथ ही प्रकरण में वापसी रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। रवानगी रोजनामचा के संबंध में साक्षी ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी। साथ ही प्रकरण में कथित द्रव्य की जांच जिस विशेषज्ञ से करायी गयी है उसे अभियोजन के द्वारा साक्ष्य सूची में शामिल भी नहीं किया गया है और न ही उसका नाम जोड़ा जाकर उसे परीक्षित कराया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में जबकि स्वयं विवेचक साक्षी ने अपने कथनों में यह बताया है कि मौके पर अभियुक्त से जप्त कुपियों को सीलबंद नहीं किया गया था तब ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में कथित द्रव्य वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था। उपर्युक्त परिस्थितियों में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.11.2011 को समय शाम 06:30 बजे ग्राम जीराढाना आकाश नगर स्थित अपने घर के सामने बिना वैध अनुज्ञप्ति के 40 लीटर कच्ची शराब विक्रय करने के आशय से अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रखा। अतः अभियुक्त नागरेश को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा चालीस लीटर कच्ची शराब अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 चूंकि अभियुक्त न्यायालय की अभिरक्षा में है। अतः उसे रिहा किया जावे।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)